89

न्यायालय श्रीमान् राजस्व बोर्ड, सर्किल कोर्ट,रीवा{म0प्र0}

Rs.30/-

R.5187-II/17

जवाहरलाल तनय ब्रजभूषण वर्मा निवासी ग्राम पोड़ी नौगई तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 ---- आवेदक

विरुद्ध

1. रामलल्लू तनय देवलाल बसोर निवासी ग्राम पोड़ी नौगई तह0 व जिला सिंगरौली म0प्र0

2. म0प्र0शासन --- अना0गण

अधि0श्री लालबहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत 03.5.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बास्ते निरस्त किये जाने सीमांकन आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय,सर्किल बुटार तहसील व जिला सिंगरौली आदेश दिनांक 2/2/2017 पारित प्रकरण क्0 08/अ12/2016-2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

आवेदन-पत्र के आधार निम्न हैं:-

{1} यहकि आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

{2} यहकि अनावेदक ने भू-खण्ड क्. 298 रकबा 0.070 हे0 स्थित ग्राम पोड़ी नौगई की जमीन का सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पर राजस्व निरीक्षक महोदय,सर्किल बुटार ने भूमि नं0298 की सीमांकन कार्यवाही किया और दिनांक 2/2/2017 को सीमांकन आदेश प्रस्तुतकिया।

निरन्तर 2पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 5187–दो/2017 निगरानी जिला सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त खुटार तहसील सिंगरोली के प्रकरण कमांक 8 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 2–2–17 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने ग्राम पोढ़ी नोगई की आराजी कमांक 298 रकबा 0.070 है. के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 8 अ–12/16–17 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की गई। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 11–1–17 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया । सीमांकन पर आपत्ति न आने के कारण राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 8 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 2–2–17 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक ने अनावेदक को सूचना दिये बिना चोरी छिपे सीमांकन किया है जिसकी सूचना आवेदक को नहीं हुई, यदि आवेदक को सीमांकन की सूचना दी जाती है, निश्चित है वह अपना पक्ष समर्थन करता । अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने की वह अधिकारी है।	

अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब वह आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 2–2–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य